पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 251 सन 2022

अनवान :–

1. मोहनलाल पुत्र रजिराज जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिह सोनी पुत्र सांवलराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. विमला पुत्र सांवलराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 28/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 33/36 कीक ुल 5.5660हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

सावंलाराम ने एक पुत्र महेन्द्रसिह एवं एक पुत्री हुई थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि उनकी एक मात्र सन्तान महेन्द्रसिह पर वाद भूमि औद हुई थी वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में अपनी पुत्री की शादी में वाद भूमि में से 17 बीधा भूमि दान में अपनी पुत्री के भरण पोषण हेतु दी गई थी प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पिता के देहान्त होने पर समस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली।

वादी के पिता बाल्यवस्था में ही फोत हो गये थे तथा वादी की माता बाल्यवस्था में ही विधवा हो गई थी प्रतिवादी संख्या 1 भी अविवाहित है जिसने वादी को अपने पास देखभाल के लिये रखा हुआ है वादी अपनी माता को शादी के समय दान में दी गई भूमि काश्त करता आ रहा है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता को दान में दी गई भूमि वादी के नाम दर्ज नही है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में से 17.00 बीधा भूमि वादी की माता को विवाह में दान दी गई भूमि है जिसे वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज सावंलराम के नाम से दर्ज थी जिसके एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 एवं एक पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 हुए प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सावलराम ने अपनी पुत्री की शादी के समय वाद भूमि में से 17.00 बीधा भूमि दान में भरण पोषण हेतु दी गई थी जो पूर्व में वादीया के कब्जा काश्त में थी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सावंलराम के देहानत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने समस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली वादी के पिता बाल्यवस्था में ही फोत हो चुके वादी की माता का भी देहान्त हो चुका है वर्तमान में वादी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ही निवास कर अपनी माता को दान में

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त भूमि को काश्त कर जीवन यापन कर रहा है वादी की माता को दान में दी गई भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई है को वादी के नाम दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 33/36 कीक ुल 5.5660हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

सावंलाराम ने एक पुत्र महेन्द्रसिह एवं एक पुत्री हुई थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि उनकी एक मात्र सन्तान महेन्द्रसिह पर वाद भूमि औद हुई थी वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में अपनी पुत्री की शादी में वाद भूमि में से 17 बीधा भूमि दान में अपनी पुत्री के भरण पोषण हेतु दी गई थी प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पिता के देहान्त होने पर समस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली।

वादी के पिता बाल्यवस्था में ही फोत हो गये थे तथा वादी की माता वाल्यवस्था में ही विधवा हो गई थी प्रतिवादी संख्या 1 भी अविवाहित है जिसने वादी को अपने पास देखभाल के लिये रखा हुआ है वादी अपनी माता को शादी के समय दान में दी गई भूमि काश्त करता आ रहा है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता को दान में दी गई भूमि वादी के नाम दर्ज नही है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 33/36 कीक ुल 5.5660हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज सावंलराम के नाम से दर्ज थी जिसके एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 एवं एक पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 हुए प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सावलराम ने अपनी पुत्री की शादी के समय वाद भूमि में से 17.00 बीधा भूमि दान में भरण पोषण हेतु दी गई थी जो पूर्व में वादीया के कथ्जा काश्त में थी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सावंलराम के देहानत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने समस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली वादी के पिता बाल्यवस्था में ही फोत हो चुके वादी की माता का भी देहान्त हो चुका है वर्तमान में वादी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ही निवास कर अपनी माता को दान में प्राप्त भूमि को काश्त कर जीवन यापन कर रहा है वादी की माता को दान में दी गई भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई है को वादी के नाम दर्ज करना चाहता है वादी के कथनों को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी की माता को दान में दी गई भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसे वादी के नाम राजस्व

Scanned with OKEN Scanner

रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है। 30

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टोपरिया के खाता संख्या 33/36 की कुल 5.5660हैक मे से प0न0 247/409(51) के किला न0 24 ,25/0.5060हैक प0न0 247/410(166) किला न0 2 ता 9 ,12 ता 18 कुल 3.795हैक भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला प0न0 247/410(166) किला न0 24 ,25/0.5060 ,प0न0 247/411(172) के किला न0 4 ,5 ,7 कुल 0.7590हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डिक्री

81

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मोहनलाल पुत्र रजिराज जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 महेन्द्रसिह सोनी पुत्र सांवलराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. विमला पुत्र सांवलराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 251 सन 2022 निर्णय दिनांक– 28/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा टोपरिया के खाता संख्या 33/36 की कुल 5.5660हैक मे से प0न0 247/409(51) के किला न0 24 ,25/0.5060हैक प0न0 247/410(166) किला न0 2 ता 9 ,12 ता 18 कुल 3.795हैक भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला प0न0 247/410(166) किला न0 24 ,25/0.5060 ,प0न0 247/411(172) के किला न0 4 ,5 ,7 कुल 0.7590हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with OKEN Scanner